संख्या-46/2021/1538 ई-2/तेरह-2021- 379778

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांकः 27 अगस्त, 2021**

विषय- मे. अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि., यूनिट स्योहारा आसवनी, स्योहारा, जनपद-बिजनौर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के करण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के संबंध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-26/दो-प्रा.डी.-26, दिनांक 10.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.08.2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि., यूनिट स्योहारा आसवनी, स्योहारा, जनपद-बिजनौर को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 20 प्रतिशत अर्थात 70 लाख ब.ली. एथनॉल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट दिनांक 28.08.2020/01.09.2020 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आसवनी में बी.हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।